GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 254

TO BE ANSWERED ON THE 22ND JULY, 2025/ ASHADHA 13, 1947 (SAKA)

SWATANTRATA SAINIK SAMMAN YOJANA

254. SHRI GURMEET SINGH MEET HAYER:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the details and total number of freedom fighters who have received a Central pension under the Swatantrata Sainik Samman Yojana (SSSY) till date, State-wise data;

(b) the number of these pensioners who are still alive and their distribution, State-wise;

(c) the number of widows of freedom fighters who are currently receiving a family pension and the number who are still alive, State-wise;

(d) the eligibility criteria for a family pension under this scheme and the eligibility criteria for the dependents;

(e) the total amount of funds allocated and disbursed for the scheme during the last five years, year-wise and State-wise; and

(f) whether there is a central repository where details of all freedom fighters and their contributions can be accessed by the public, if not, the reasons for not creating such a database?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(SHRI BANDI SANJAY KUMAR)

(a): There are 171689 Freedom Fighters who received a Central pension under the Swatantrata Sainik Samman Yojana (SSSY) till date, state-wise data is enclosed at Annexure-I.

:_▓www.staffnews.in▓_:

(b): There are 13212 pensioners who are still alive and receiving SSSY Samman pension. State-wise data is given at Annexure-II;

(c): There are 9778 widows (spouse) who are still alive and are receiving SSSY Samman pension. State-wise data is given at Annexure-III.

(d): The eligibility criteria for a family pension and for the dependents under this scheme is given at Annexure –IV.

(e): The total funds allotted and disbursed for the scheme during the last five years is as under :

S.No.	Year	Budget allotted (in crore)	Fund Disbursed (in crore)
1	2020-21	Rs.760	660.14
2	2021-22	Rs.717	717
3	2022-23	Rs.650	599.29
4	2023-24	Rs.589	539.67
5	2024-25	Rs.600	599.29

:_▓www.staffnews.in▓_:

<u>L.S.US.Q.NO. 254 FOR 22.07.2025</u>

However, State-wise disbursement of fund on account of Swatantrata Sainik Samman Yojana is not maintained by this Ministry.

(f): Indian Council of Historical Research (ICHR), New Delhi which is an autonomous body of M/o Human Resource Development, Govt. of India maintain the list of freedom fighters/martyrs of India freedom struggle under a project entitled "Dictionary of Martyrs : Indian Freedom Struggle (1857-1947)".

******

:_▓www.staffnews.in▓_:

Annexure 'I'
LS.US.Q.NO.254 FOR 22.07.2025

TOTAL NUMBER OF FREEDOM FIGHTERS WHO HAVE RECEIVED CENTRAL PENSION UNDER THE SWATANTRATA SAINIK SAMMAN YOJANA TILL DATE.

S.No.	Name of State/Union Territory	Number of freedom fighters/their eligible dependents who have been sanctioned pension
1	Andhra Pradesh	15286
2	Telangana	
3	Assam	4442
4	Bihar &	24905
5	Jharkhand	
6	Goa	1508
7	Gujrat	3599
8	Haryana	1692
9	Himachal Pradesh	633
10	Jammu & Kashmir	1807
11	Karnataka	10105
12	Kerala	3429
13	Madhya Pradesh &	3488
14	Chhattisgarh	
15	Maharashtra	17974
16	Manipur	63
17	Meghalaya	86
18	Mizoram	4

:_▓www.staffnews.in▓_:

19	**Nagaland**	**3**
20	**Odisha**	**4197**
21	**Punjab**	**7042**
22	**Rajasthan**	**814**
23	**Tamil Nadu**	**4147**
24	**Tripura**	**888**
25	**Uttar Pradesh &**	**18004**
26	**Uttrakhand**	
27	**West Bengal**	**22523**
28	**Andaman & Nicobar Islands**	**3**
29	**Chandigarh**	**91**
30	**Dadra & Nagar Haveli**	**83**
31	**Daman & Diu**	**33**
32	**NCT of Delhi**	**2048**
33	**Puducherry**	**320**
34	**Indian National Army (INA)**	**22472**
	Total	**171689**

*****

:_▓www.staffnews.in▓_:

Annexure 'II'

LS.US.Q.NO.254 FOR 22.07.2025

TOTAL NUMBER OF PENSIONERS WHO ARE STILL ALIVE AND THEIR STATEWISE DISTRIBUTIONS.

Sl.No.	State	Number of Central Freedom fighter pensioners (Freedom fighter/Spouse/Daughter)
1	ANDAMAN & NICOBAR	1
2	ANDHRA PRADESH	232
3	ASSAM	302
4	BIHAR	988
5	CHANDIGARH	9
6	CHHATTISGARH	24
7	DAMAN & DIU	10
8	DELHI	109
9	GOA	406
10	GUJARAT	123
11	HARYANA	232
12	HIMACHAL PRADESH	243
13	JAMMU & KASHMIR	355
14	JHARKHAND	84
15	KARNATAKA	758
16	KERALA	602
17	MADHYA PRADESH	123
18	MAHARASHTRA	1543
19	MANIPUR	9
20	MEGHALAYA	7
21	MIZORAM	1
22	NAGALAND	0
23	ODISHA	239
24	PUDUCHERRY	51
25	PUNJAB	382
26	RAJASTHAN	106
27	TAMIL NADU	801
28	TELANGANA	3017
29	TRIPURA	91
30	UTTAR PRADESH	387
31	UTTARAKHAND	178
32	WEST BENGAL	1799
	Grand Total	13212

*****

:_▓www.staffnews.in▓_:

Annexure 'III'
LS.US.Q.NO.254 FOR 22.07.2025

STATEWISE LIST OF TOTAL NUMBER OF WIDOWS/SPOUSE WHO ARE STILL ALIVE AND DRAWING PENSION UNDER SWATANTRATA SAINIK SAMMAN YOJANA.

S.No.	State	Number of dependent Spouse/Widows /Daughters pensioners
1	ANDAMAN & NICOBAR	1
2	ANDHRA PRADESH	180
3	ASSAM	177
4	BIHAR	693
5	CHANDIGARH	8
6	CHHATTISGARH	19
7	DAMAN & DIU	6
8	DELHI	81
9	GOA	304
10	GUJARAT	81
11	HARYANA	198
12	HIMACHAL PRADESH	199
13	JAMMU & KASHMIR	252
14	JHARKHAND	68
15	KARNATAKA	588
16	KERALA	483
17	MADHYA PRADESH	91
18	MAHARASHTRA	1274
19	MANIPUR	4
20	MEGHALAYA	4
21	MIZORAM	0
22	NAGALAND	0
23	ODISHA	198
24	PUDUCHERRY	35
25	PUNJAB	274
26	RAJASTHAN	101
27	TAMIL NADU	660
28	TELANGANA	2165
29	TRIPURA	56
30	UTTAR PRADESH	314
31	UTTARAKHAND	169
32	WEST BENGAL	1095
	Total	9778

****

:_▓www.staffnews.in▓_:

Annexure-IV
LS.US.Q.NO.254 FOR 22.07.2025

ELIGIBILITY CRITERIA FOR GRANT OF PENSION TO FREEDOM FIGHTERS UNDER CENTRAL SWATANTRATA SAINIK SAMMAN PENSION SCHEME, 1980

1. **A person who had suffered a minimum imprisonment of six months in mainland jails before Independence. Ex-INA personnel are also eligible for pension if the imprisonment/detention suffered by them was outside India for six months or more. In case of women and SC/ST freedom fighters, the minimum period of actual imprisonment for eligibility of pension is three months.**
2. **A person who remained underground for six months or more provided he was:-**
   - **i. A proclaimed offender;**
   - **ii. One on whom an award for arrest/head was announced, or**
   - **iii. One whose detention order was issued but not served.**
3. **A person who was interned in his home or externed from his district under the orders of the competent authority for six months or more.**
4. **A person whose property was confiscated or attached and sold due to participation in the National Freedom Struggle.**
5. **A person who was permanently incapacitated during firing or lathi charge.**

:_▓www.staffnews.in▓_:

6. **A person who lost his Government job (including job in a local body) for participation in the National Freedom Struggle.**

7. **To become eligible for pension an applicant has to submit documentary evidence duly verified by the State Govt. along with their recommendation as per the following details:-**

IN CASE OF IMPRISONMENT:-

(a) Imprisonment/detention certificate from the concerned jail authority, District Magistrate or the State Govt. indicating the period of sentence awarded, date of admission, date of release, facts of the case and reasons for release.

(b) In case of records of the relevant period are not available, the secondary evidences in the form of 2 co-prisoner certificates (CPC) from freedom fighters who have proven jail suffering of minimum 1 year and who were with the applicant in the jail could be considered provided the State Government/Union Territory Administration concerned, after due verification of the claim and its genuineness, certifies that documentary evidences from the official records in support of the claimed sufferings were not available. In case the certifier happens to be a sitting or Ex. M.P./M.L.A., only one certificate in place of the two is required.

:_▓www.staffnews.in▓_:

IN CASE OF UNDERGROUND SUFFERING:-

(a) Documentary evidence by way of Court's/Govt's order proclaiming the applicant as an absconder, announcing an award on his head or for his arrest or ordering his detention.

(b) In case records of the relevant period are not available, secondary evidence in the form of a Personal Knowledge Certificate (PKC) from a prominent freedom fighter who has proven jail suffering of a minimum two years and who happened to be from the same administrative unit could be considered provided the State Government/Union Territory Administration concerned, after due verification of the claim and its genuineness, certifies that documentary evidences from the official records in support of the claimed sufferings were not available.

IN CASE OF INTERNMENT/EXTERNMENT:-

A person who, on account of participation in the freedom struggle, was interned in his home or externed from his district for a minimum period of 6 months is eligible subject to furnishing of order of internment or externment issued by the competent authority, from official records. In absence of the official records, Non-availability of Records Certificate (NARC) from the concerned authorities along with a certificate from

:_▓www.staffnews.in▓_:

prominent freedom fighters who had themselves undergone suffering of imprisonment for two years or more.

IN CASE OF LOSS OF PROPERTY:-

A person whose property was confiscated or attached and sold due to participation in the freedom struggle is eligible subject to furnishing of orders of confiscation and sale of property, provided that the persons whose property was restored are not eligible for Samman Pension.

IN CASE OF PERMANENT INCAPACITATION:-

(a) Certificate from the District Magistrate stating that permanent incapacitation was done by bullet injury/lathi charge sustained during participation in the National freedom Struggle and

(b) Medical certificate from the Civil Surgeon in support of the handicap.

IN CASE OF LOSS OF GOVERNMENT JOB:-

A person who lost his Govt. job for participation in freedom struggle is eligible subject to furnishing of orders of dismissal or removal from service. However, persons who were reinstated in service before expiry of

:_▓www.staffnews.in▓_:

two years from their dismissal or removal from service and were in receipt of benefits or pay and allowances are not eligible for pension.

IN CASE OF CANING/FLOGGING/WHIPPING:-

A person who was awarded the punishment of 10 strokes of caning/flogging/whipping due to his participation in freedom struggle is eligible subject to furnishing of copies of orders passed by the competent authority from official records.

ELIGIBILITY CRITERIA FOR A FAMILY PENSION AND FOR THE DEPENDENTS UNDER THE SCHEMES

For the purpose of grant of Samman pension, family, after death of a freedom fighter pensioner, family pension is granted to his/her spouse and after death of the spouse their unmarried daughters (upto maximum of three such daughters), mother or father are granted dependent family pension.

*****

:_▓www.staffnews.in▓_:

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 269
दिनांक 22 जुलाई, 2025 / 31 आषाढ़, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

लक्षद्वीप में कर्मचारियों को एमएसीपी लाभ

†269. श्री हमदुल्ला सईदः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या लक्षद्वीप में कर्मचारियों को पदोन्नति और संशोधित सुनिश्चित करियर प्रगति (एमएसीपी) लाभ प्रदान करने में देरी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इस देरी के क्या कारण हैं और लंबित मामलों को सुलझाने तथा समय पर समीक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार अनुबंध कर्मचारियों के लिए एक रोटेशन नीति लागू करने पर विचार कर रही है ताकि व्यक्तिगत और वित्तीय कठिनाइयों को कम करने के लिए उन्हें अपने मूल द्वीपों में समय-समय पर स्थानांतरित किया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो जीवन -यापन की लागत और सेवा योगदान को दर्शाने के लिए अनुबंध कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा और समायोजन की किसी योजना सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप प्रशासन ने सूचित किया है कि लक्षद्वीप में पात्र कर्मचारियों को पदोन्नति और संशोधित सुनिश्चित करियर प्रगति (एमएसीपी) संबंधित नियमों के अनुसार प्रदान की जाती है। ऐसे लाभों से संबंधित मामलों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए, प्रशासन ने एक एकीकृत स्क्रीनिंग समिति/विभागीय पदोन्नति समिति का गठन किया है।

(ग) और (घ): ऐसी कोई नीति/योजना विचाराधीन नहीं है।

******

:_▓www.staffnews.in▓_:

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 254
दिनांक 22 जुलाई, 2025/ 31 आषाढ़, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना

†254. श्री गुरमीत सिंह मीत हायेरः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना (एसएसएसवाई) के अंतर्गत आज की तारीख तक केंद्रीय पेंशन प्राप्त करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) उन पेंशनभोगियों की संख्या कितनी है, जो अभी भी जीवित हैं और उनके वितरण का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं की संख्या कितनी है, जो वर्तमान में पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रही हैं और उनमें से कितनी जीवित हैं, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त योजना के अंतर्गत पारिवारिक पेंशन के लिए पात्रता मानदंड और आश्रितों के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं;

(ङ) गत पाँच वर्षों के दौरान उक्त योजना के लिए वर्ष-वार और राज्य-वार कुल कितनी निधि आवंटित और वितरित की गई है; और

(च) क्या कोई केंद्रीय कोष है जहाँ सभी स्वतंत्रता सेनानियों और उनके योगदान का विवरण जनता द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, यदि नहीं, तो ऐसा डेटाबेस न बनाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) वर्तमान में स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना (एसएसएसवाई) के अंतर्गत **171689** स्वतंत्रता सेनानियों को केंद्रीय पेंशन प्राप्त हुई है।राज्यवार आंकड़े **अनुलग्नक-I में संलग्न हैं।**

(ख) 13212 पेंशनभोगी जो अभी भी जीवित हैं, एसएसएसवाई सम्मान पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। **राज्यवार आंकड़े अनुलग्नक-II में दिए गए हैं।**

:_: www.staffnews.in :_:

लोक सभा अता. प्रश्न सं. 254 दिनांक 22.07.2025

(ग) 9778 विधवाएँ/विधुर (पति/पत्नी) जो अभी भी जीवित हैं एवं सम्मान पेंशन प्राप्त कर रही हैं। **राज्यवार आँकड़े अनुलग्नक-III में दिए गए हैं।**

(घ) इस योजना के अंतर्गत पारिवारिक पेंशन के लिए पात्रता मानदंड, तथा आश्रितों के लिए पात्रता मानदंड **अनुबंध-IV में दी गई है।**

(ङ) पिछले पांच वर्षों के दौरान इस योजना के लिए आवंटित एवं वितरित कुल धनराशि निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	**वर्ष**	**आवंटित बजट (करोड़ में)**	**वितरित धनराशि (करोड़ में)**
1	2020-21	रू 760	660.14
2	2021-22	रू 717	717
3	2022-23	रू 650	599.29
4	2023-24	रू 589	539.67
5	2024-25	रू 600	599.29

हालाँकि, स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना के लिए राज्यवार धनराशि का वितरण इस मंत्रालय द्वारा नहीं किया जाता है।

(च) भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद (आईसीएचआर), नई दिल्ली, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है, "शहीदों का शब्दकोश: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम (1857-1947)" नामक परियोजना के अंतर्गत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों/शहीदों की सूची तैयार करता है।

:_: www.staffnews.in :_:

अनुलग्नक-I

लोक सभा अता. प्रश्न स. 254 दिनांक 22.07.2025

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सम्मान योजना के अंतर्गत आज तक केन्द्रीय पेंशन प्राप्त करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की कुल संख्या इस प्रकार है:-

क्रम संख्या	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**स्वतंत्रता सेनानियों/उनके पात्र आश्रितों की संख्या जिन्हें पेंशन स्वीकृत की गई है।**
1	आन्ध्र प्रदेश	15286
2	तेलंगाना	
3	असम	4442
4	बिहार एवं	24905
5	झारखण्ड	
6	गोवा	1508
7	गुजरात	3599
8	हरयाणा	1692
9	हिमाचल प्रदेश	633
10	जम्मू व कश्मीर	1807
11	कर्नाटक	10105
12	केरल	3429
13	मध्य प्रदेश एवं	3488
14	छत्तीसगढ़	
15	महाराष्ट्र	17974
16	मणिपुर	63
17	मेघालय	86
18	मिजोरम	4
19	नागालैण्ड	3
20	उड़ीसा	4197
21	पंजाब	7042
22	राजस्थान	814
23	तमिलनाडु	4147
24	त्रिपुरा	888
25	उत्तर प्रदेश एवं	18004
26	उत्तराखण्ड	
27	पश्चिम बंगाल	22523
28	अण्डमान एवं निकोबार	3
29	चण्डीगढ़	91
30	दादर एवं नगर हवेली	83
31	दमण एवं द्वीव	33
32	संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली	2048
33	पुदुचेरी	320
34	भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA)	22472
	कुल योग	**171689**

:_: www.staffnews.in :_:

अनुलग्नक-II

लोक सभा अता. प्रश्न सं. 254 दिनांक 22.07.2025

अभी भी जीवित स्वतंत्रता सेनानी केंद्रीय पेंशनभोगियों की कुल संख्या एवं उनका राज्यवार विवरण।

क्रम संख्या	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**स्वतंत्रता सेनानी केंद्रीय पेंशनभोगियों की संख्या(स्वतंत्रता सेनानी/जीवनसाथी/पुत्री)**
1.	अण्डमान एवं निकोबार	1
2.	आन्ध्र प्रदेश	232
3.	असम	302
4.	बिहार	988
5.	चण्डीगढ़	9
6.	छत्तीसगढ़	24
7.	दमण एवं द्वीव	10
8.	दिल्ली	109
9.	गोवा	406
10.	गुजरात	123
11.	हरयाणा	232
12.	हिमाचल प्रदेश	243
13.	जम्मू व कश्मीर	355
14.	झारखण्ड	84
15.	कर्नाटक	758
16.	केरल	602
17.	मध्य प्रदेश	123
18.	महाराष्ट्र	1543
19.	मणिपुर	9
20.	मेघालय	7
21.	मिजोरम	1
22.	नागालैण्ड	0
23.	उड़ीसा	239
24.	पुदुचेरी	51
25.	पंजाब	382
26.	राजस्थान	106
27.	तमिलनाडु	801
28.	तेलंगाना	3017
29.	त्रिपुरा	91
30.	उत्तर प्रदेश	387
31.	उत्तराखण्ड	178
32.	पश्चिम बंगाल	1799
33.	**कुल योग**	**13212**

:_: www.staffnews.in :_:

अनुलग्नक-III

लोक सभा अता. प्रश्न सं. 254 दिनांक 22.07.2025

स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना के अंतर्गत अभी भी जीवित एवं पेंशन प्राप्त करने वाली विधवाओं/पति/पत्नियों की कुल संख्याओं की सूची:-

क्रम संख्या	राज्य	पेंशनभागी आश्रितों के नाम (जीवनसाथी/विधवाओं/पुत्रियों)
1.	अण्डमान एवं निकोबार	1
2.	आन्ध्र प्रदेश	180
3.	असम	177
4.	बिहार	693
5.	चण्डीगढ़	8
6.	छत्तीसगढ़	19
7.	दमण एवं द्वीव	6
8.	दिल्ली	81
9.	गोवा	304
10.	गुजरात	81
11.	हरयाणा	198
12.	हिमाचल प्रदेश	199
13.	जम्मू व कश्मीर	252
14.	झारखण्ड	68
15.	कर्नाटक	588
16.	केरल	483
17.	मध्य प्रदेश	91
18.	महाराष्ट्र	1274
19.	मणिपुर	4
20.	मेघालय	4
21.	मिजोरम	0
22.	नागालैण्ड	0
23.	उड़ीसा	198
24.	पुदुचेरी	35
25.	पंजाब	274
26.	राजस्थान	101
27.	तमिलनाडु	660
28.	तेलंगाना	2165
29.	त्रिपुरा	56
30.	उत्तर प्रदेश	314
31.	उत्तराखण्ड	169
32.	पश्चिम बंगाल	1095
33.	**कुल योग**	**9778**

:_: www.staffnews.in :_:

अनुलग्नक-IV

लोक सभा अता. प्रश्न सं. 254 दिनांक 22.07.2025

केंद्रीय स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 के अंतर्गत स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन प्रदान करने के लिए पात्रता मानदंड।

1. वह व्यक्ति जिसने स्वतंत्रता से पहले मुख्य भूमि की जेलों में कम से कम छह महीने की कैद काटी हो। पूर्व आईएनए कर्मी भी पेंशन के पात्र हैं, यदि उन्होंने छह महीने या उससे अधिक समय तक भारत के बाहर कारावास/नजरबंदी काटी हो। महिलाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वतंत्रता सेनानियों के मामले में, पेंशन की पात्रता के लिए वास्तविक कारावास की न्यूनतम अवधि तीन महीने है।
2. कोई व्यक्ति जो छह महीने या उससे अधिक समय तक भूमिगत रहा, बशर्ते कि वह:-
   i. घोषित अपराधी:
   II. वह व्यक्ति जिस पर गिरफ्तारी/सिर के लिए पुरस्कार घोषित किया गया हो,
   iii. वह व्यक्ति जिसका निरोध आदेश जारी किया गया था लेकिन तामील नहीं हुआ
3. ऐसा व्यक्ति जिसे सक्षम प्राधिकारी के आदेश के तहत छह महीने या उससे अधिक समय के लिए अपने घर में नजरबंद किया गया हो या अपने जिले से बाहर निकाला गया हो।
4. वह व्यक्ति जिसकी संपत्ति राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण जब्त या कुर्क कर ली गई हो और बेच दी गई हो।
5. ऐसा व्यक्ति जो गोलीबारी या लाठीचार्ज के दौरान स्थायी रूप से अक्षम हो गया हो।
6. वह व्यक्ति जिसने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण अपनी सरकारी नौकरी (स्थानीय निकाय की नौकरी सहित) खो दी हो।
7. पेंशन के लिए पात्र बनने के लिए आवेदक को राज्य सरकार द्वारा विधिवत सत्यापित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे, साथ ही निम्नलिखित विवरण के अनुसार उनकी अनुशंसा भी प्रस्तुत करनी होगी:-

कारावास की स्थिति में:-

(क) संबंधित जेल प्राधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार से कारावास/नजरबंदी प्रमाण पत्र, जिसमें दी गई सजा की अवधि, प्रवेश की तिथि, रिहाई की तिथि, मामले के तथ्य और रिहाई के कारण दर्शाए गए हों।

:_: www.staffnews.in :_:

लोकसभा प्रश्नसंख्या- 254 दिनांक 22.07.2025

(ख) यदि प्रासंगिक अवधि के अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं, तो स्वतंत्रता सेनानियों से 2 सह-कैदी प्रमाण-पत्र (सीपीसी) के रूप में द्वितीयक साक्ष्य, जिन्होंने कम से कम 1 वर्ष की जेल यातना सिद्ध की हो और जो आवेदक के जेल में रहने के दौरान हुई पीड़ा पर विचार किया जा सकता है, बशर्ते संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, दावे और उसकी वास्तविकता का उचित सत्यापन करने के बाद, यह प्रमाणित करे कि दावा की गई पीड़ा के समर्थन में आधिकारिक अभिलेखों से कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यदि प्रमाणित करने वाला वर्तमान या पूर्व सांसद/विधायक है, तो दो के स्थान पर केवल एक प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।

भूमिगत पीड़ा के मामले में:-

(क) न्यायालय/सरकार के आदेश के माध्यम से दस्तावेजी साक्ष्य जिसमें आवेदक को भगोड़ा घोषित किया गया हो, उसके सिर पर इनाम घोषित किया गया हो या उसकी गिरफ्तारी के लिए आदेश दिया गया हो या उसे हिरासत में लेने का आदेश दिया गया हो।

(ख) यदि प्रासंगिक अवधि के अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं, तो किसी प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, जिसने कम से कम दो वर्ष की जेल यातनाएं सिद्ध की हों और जो उसी प्रशासनिक इकाई से हो, से प्राप्त व्यक्तिगत ज्ञान प्रमाण पत्र (पीकेसी) के रूप में द्वितीयक साक्ष्य पर विचार किया जा सकता है, बशर्ते कि संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन दावे और उसकी वास्तविकता के समुचित सत्यापन के बाद यह प्रमाणित कर दे कि दावा की गई यातनाओं के समर्थन में आधिकारिक अभिलेखों से दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे।

नजरबंदी/निर्वासन के मामले में:-

कोई व्यक्ति, जिसे स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण कम से कम 6 महीने के लिए अपने घर में नजरबंद किया गया हो या अपने जिले से निर्वासित किया गया हो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए नजरबंदी या निर्वासन के आदेश को आधिकारिक रिकॉर्ड से प्रस्तुत करने की शर्त पर पात्र है। आधिकारिक रिकॉर्ड के अभाव में, संबंधित प्राधिकारियों से रिकॉर्ड प्रमाणपत्र (एनएआरसी) की अनुपलब्धता के साथ-साथ उन प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों से प्रमाण पत्र, जिन्होंने स्वयं दो वर्ष या उससे अधिक समय तक कारावास की यातनाएँ झेली हों, प्राप्त किया हो।

संपत्ति के नुकसान के मामले में:-

वह व्यक्ति जिसकी संपत्ति स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण जब्त या कुर्क कर बेची गई थी, वह संपत्ति की जब्ती और बिक्री के आदेश प्रस्तुत करने के अधीन पात्र है, बशर्ते कि जिन व्यक्तियों की संपत्ति वापस कर दी गई थी, वे सम्मान पेंशन के लिए पात्र नहीं हैं।

स्थायी अक्षमता की स्थिति में:-

(क) जिला मजिस्ट्रेट से प्रमाण पत्र जिसमें यह उल्लेख हो कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के दौरान गोली लगने/लाठीचार्ज के कारण स्थायी रूप से अशक्त हो गया था।

(ख) विकलांगता के समर्थन में सिविल सर्जन से चिकित्सा प्रमाण पत्र।

सरकारी नौकरी छूटने की स्थिति में:-

स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण सरकारी नौकरी गँवाने वाले व्यक्ति को सेवा से बर्खास्तगी या हटाने के आदेशों के अधीन पेंशन के लिए पात्र माना जाएगा। हालांकि, ऐसे व्यक्ति जो बर्खास्तगी या सेवा से हटाने के दो वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले सेवा में बहाल हो गए थे और लाभ या वेतन और भत्ते प्राप्त कर रहे थे, वे पेंशन के लिए पात्र नहीं हैं।

बेंत मारने/कोड़े मारने के मामले में:-

वह व्यक्ति जिसे स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण 10 बेंत मारने/लाठियां मारने/कोड़े मारने की सजा दी गई हो, वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों की प्रतियां आधिकारिक अभिलेखों से प्रस्तुत करने के अधीन पात्र है।

योजना के तहत पारिवारिक पेंशन और आश्रितों के लिए पात्रता मानदंड

सम्मान पेंशन प्रदान करने के उद्देश्य से, स्वतंत्रता सेनानी पेंशनभोगी की मृत्यु के पश्चात् उसके / उसकी जीवनसाथी को पारिवारिक पेंशन प्रदान की जाती है तथा जीवनसाथी की मृत्यु के पश्चात् उसकी अविवाहित पुत्रियों (ऐसी अधिकतम तीन पुत्रियों तक) को आश्रित परिवार पेंशन प्रदान की जाती है।

****

:_: www.staffnews.in :_: